<u>न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा, राज.</u>

पीठासीन अधिकारी : **पुलकित शर्मा, आर.जे.एस.**

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : **21/2016**

सीआईएस नम्बर : **01/2016**

सीएनआर नम्बर : **RJBW100000212016**

(प्रकरण 10 वर्ष पुराना होकर टारगेटेड केस नंबर 28 है)

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

01. देवेंद्र सिंह पुत्र तेज सिंह सिसोदिया, उम्र 38 वर्ष, निवासी दवाना जाबद, थाना सलुम्बर, जिला सलुम्बर, राज.

02. प्रशांत शर्मा पुत्र मिठालाल शर्मा, उम्र 47 वर्ष, निवासी 64 चिंतामणी, रावजी का घाटा, थाना घण्टाघर, जिला उदयपुर, राज.

03. जहांगीर पुत्र इब्राहिम खान मलिक, निवासी 187 जांगीयान स्ट्रीट, करोद, थाना अंकलेश्वर, जिला भरूच, गुजरात **(धारा 299 सीआरपीसी में अनुसंधान/चालान पेण्डिंग)**

–अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 14/54, 19/54 राज. आबकारी अधिनियम</u>

<u>उपस्थित –</u>

1. अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से, उपस्थित।

2. श्री एस.एन. योगी व श्री दीपक गर्ग अधिवक्ता, अभियुक्तगण देवेंद्र व प्रशांत की ओर से।

<u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरणः–</u>

अपराध की तिथि	**12.08.2015**
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	**12.08.2015**
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	**14.01.2016**

आरोप विरचित किए जाने की तिथि	**11.08.2016**
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	**03.12.2016**
साक्ष्य बंद किए जाने की तिथि	**13.02.2026**
अभियुक्त प्रशांत के बयान मुल्जिम की तिथि	**23.02.2026**
अभियुक्त देवेंद्र के बयान मुल्जिम की तिथि	**24.02.2026**
साक्ष्य सफाई बंद किए जाने की तिथि	**24.02.2026**
बहस अंतिम सुने जाने की तिथि	**24.03.2026 व 28.03.2026**
निर्णय की तिथि	**28.03.2026**
निर्णय	**दोषसिद्ध**
दण्ड दिए जाने की तिथि(यदि हो तो)	**28.03.2026**

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 28.03.2026</u>**

1. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त जहांगीर के विरुद्ध धारा 299 सीआरपीसी के तहत अनुसंधान/चालान पेन्डिंग रखा गया है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अभियुक्तगण देवेंद्र सिंह व प्रशांत शर्मा की हद तक प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.08.2015 को प्रार्थिया सुशीला, एएसआई थाना गुलाबपुरा के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 12.08.2015 को समय 7.00 पीएम पर मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर वह, नवरतन सिंह एएसआई, पुखराज, रोहिताश, गोपालाल सरकारी जीप के रवाना होकर समय 7.30 पीएम पर 29 मील चौकी पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की, जिस पर समय 8.00 पीएम पर एक सफेद रंग की कार टोयोटा ईटियोस नंबर आरजे 14 सीक्यू 2355 आती हुई नजर आई, जिसको रुकवाकर देखा तो कार की सीट के नीचे व पीछे डिग्गी में अवैध अंगेजी शराब भरी हुई पाई गई। इसके पश्चात् कार में बैठे व्यक्तियों का नाम–पता पूछा तो देवेंद्र सिंह व प्रशांत शर्मा होना बताया और और शराब बाबत् लाईसेंस परमिट नहीं होना बताया। इसके पश्चात् कार में भरी अवैध शराब को गिना तो 72 बोतल रॉयल स्टेग व 90 बोतल एरिस्टोक्रेट, 12 बोतल रॉयल चैलेंज की मिली, जिन पर फॉर सेल इन हरियाणा लिखा होना पाया गया। उक्त प्रत्येक शराब ब्रांड के एफएसएल हेतु सैंपल

निकाले गए.....इत्यादि।

3. उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना गुलाबपुरा ने प्रकरण सं. 298/2015 अपराध अन्तर्गत धारा 14/54, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में पंजीबद्व किया जाकर अनुसंधान आरंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 14/54, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप प्रमाणित पाया जाना पर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 14.01.2016 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का अपराध प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बाद बहस चार्ज दिनांक 11.08.2016 को अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 14–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की और से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहों को पेश कर परीक्षित करवाया गया –

क्रम संख्या	**गवाह संख्या**	**गवाह नाम**
1	पी.ड.1	सुशीला
2	पी.ड.2	रोहिताश
3	पी.ड.3	रघुनाथलाल
4	पी.ड.4	दीनदयाल
5	पी.ड.5	मामराज
6	पी.ड.6	गोपालराम
7	पी.ड.7	पुखराज
8	पी.ड.8	नवरतन

– अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए, जो निम्न है–

क्रम संख्या	**दस्तावेज संख्या**	**दस्तावेज**
1.	प्रदर्शपी.1	फर्द जब्ती शराब

2.	प्रदर्शपी.2	फर्द जब्ती कार
3.	प्रदर्शपी.3	फर्द गिरफ्तारी प्रशांत
4.	प्रदर्शपी.4	फर्द गिरफ्तारी देवेंद्र सिंह
5.	प्रदर्शपी.5	रिपोर्ट
6.	प्रदर्शपी.6	चाक एफआईआर
7.	प्रदर्शपी.7	पुलिस बयान रोहिताश
8.	प्रदर्शपी.8	रवानगी रपट
9.	प्रदर्शपी.9	नक्शा मौका घटनास्थल
10.	प्रदर्शपी.10	धारा 27 साक्ष्य अधि. सूचना मुल्जिम देवेंद्र
11.	प्रदर्शपी.11	धारा 27 साक्ष्य अधि. सूचना मुल्जिम प्रशांत
12.	प्रदर्शपी.12	फर्द मौका तस्दीक
13.	प्रदर्शपी.13	जिला परिवहन अधिकारी को लिखा पत्र
14.	प्रदर्शपी.14	धारा 91 का पत्र
15.	प्रदर्शपी.15	ग्राम पंचायत की रिपोर्ट
16.	प्रदर्शपी.16	एफएसएल जांच पत्र
17.	प्रदर्शपी.17	एसपी ऑफिस भीलवाड़ा का अग्रेषण पत्र
18.	प्रदर्शपी.18	एफएसएल जमा रसीद
19.	प्रदर्शपी.19	मालखाना रजिस्टर प्रति

6. साक्ष्य अभियोजन समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त प्रशांत के दिनांक 23.02.2026 व अभियुक्त देवेंद्र के दिनांक 24.02.2026 को बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहने पर दिनांक 24.02.2026 को साक्ष्य प्रतिरक्षा समाप्त की गई एवं प्रकरण बहस अंतिम हेतु नियत किया गया।

7. बहस अंतिम सुनी गई। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस न्यायालय से निवेदन किया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं हुए है। अभियुक्त से जब्ती संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं। अभियोजन पक्ष प्रकरण को सिद्ध नहीं कर पाया है। समस्त गवाह पुलिसकर्मी हैं। किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया है। सैंपल प्रत्येक बोतल से निकाले नहीं गए हैं। अतः

अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर अभ्यारोपित आरोप से दोषमुक्त किया जावे।

इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त को अभ्यारोपित आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया–

– **गोविन्द राजू उर्फ गोविन्दा बनाम राज्य व अन्य एस.सी.सी.(2012) 4 एस.सी. पेज 722**

8. <u>न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू –</u>

'' क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 12.08.2015 को समय करीब 08.00 पीएम पर स्थान 29 मील चौकी, गुलाबपुरा, नेशनल हाईवे 79 पर दौराने चैकिंग व नाकाबंदी के सुशीला एसआई द्वारा मय जाप्ता के नियमानुसार तलाशी लिए जाने पर उनकी आधिपत्य की कार संख्या आरजे 14 सीक्यू 2355 में 72 बोतल रॉयल स्टेग, 90 बोतल एरिस्टोक्रेट व 12 बोतल रॉयल चैलेंज की शराब अवैध रूप से बरामद हुई, जो हरियाणा राज्य में ही विक्रय योग्य थी व उक्त अवैध शराब का बिना किसी वैध आयात–निर्यात और परिवहन करने के संबंध में कोई वैध लाईसेंस या पास नहीं था?

'' यदि हॉ तो उसकी सजा क्या होगी ?''

9. <u>पत्रावली पर उपलब्ध बयानों, दस्तावेजों, बहस अंतिम के आलोक में न्यायालय का निष्कर्ष :–</u>

– **हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त जहांगीर के विरुद्ध धारा 299 सीआरपीसी के तहत अनुसंधान/चालान पेन्डिंग रखा गया है।** अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण देवेंद्र व प्रशांत की हद तक गवाहों का विवेचन किया जा रहा है। अभियोजन कहानी को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 08 गवाह परीक्षित करवाए है तथा 19 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। अभियुक्तगण पर धारा 14–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप है। ऐसी स्थिति में अभ्यारोपित आरोपों को साबित करने के लिए अभियुक्तगण के सचेतन कब्जे से बरामदगी होना, बरामद माल शराब होना तथा अभियोजन कहानी में तारतम्य साबित होना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण का उद्भव गवाह पी.ड.1 सुशीला की

लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी.5 से हुआ है, जिसके अनुसार वक्त मौका कार्यवाही सुशीला के साथ गवाह पी.ड. 2 रोहिताश, पी.ड. 6 गोपालराम, पी.ड. 7 पुखराज, पी.ड. 8 नवरतन मौजूद थे। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उक्त गवाहान् के बयान महत्वपूर्ण हैं।

– प्रकरण में सर्वप्रथम गवाह पी.ड. 1 सुशीला के बयानों को देखना महत्वपूर्ण है। उक्त गवाह पी.ड. 1 सुशीला न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य परीक्षण में दिनांक 12.08.2015 को थाना गुलाबपुरा में एसआई प्रोबेशनर होने और मुखबीर सूचना मिलने पर नवरतन सिंह, पुखराज, रोहिताश, गोपालराम के साथ 29 मिल चौकी पर समय 7.30 पीएम पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू करने का कथन करती है और समय 8.00 पीएम पर एक कार नंबर आरजे 14 सीक्यू 2355 को रुकवाने का कथन करती है और वाहन में दोनों व्यक्तियों द्वारा नाम देवेंद्र व प्रशांत बताए जाने का कथन करती है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह पी.ड. 1 सुशीला मुख्य परीक्षण में वाहन के अंदर अंग्रेजी शराब की कुल 174 बोतलें होने का कथन करती है, जिसमें से 72 रोयल स्टेग की, 90 एरीस्टोक्रेट की और 12 रॉयल चेलेंज की बोतले होने का कथन करती है और उक्त शराब के परिवहन बाबत् लाईसेंस नही होने का कथन करती है और तीनों क्वालिटी की शराब में से एक–एक बोतल सेंपल निकालने का कथन करती है और फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी–1 व फर्द जब्ती वाहन प्रदर्श पी–2 होने का कथन करती है और अभियुक्तगण को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–3 व पी–4 के गिरफ्तार करने का कथन करती है और इसके पश्चात वक्त मौका कार्यवाही कर रिपोर्ट थाने पर आकर दिए जाने का कथन करती है और दोनों मुलजिम को सामने आने पर पहचान सकने का कथन करती है। इस प्रकार देखा जाए तो यह गवाह पी.ड. 01 सुशीला अपने बयानों में पूर्णतया लिखित रिपोर्ट व मौका कार्यवाही की पुष्टि करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इस गवाह की जिरह से कोई गम्भीर विरोधाभास व लेकुना उत्पन्न हुआ है या नहीं। इस आलोक में उक्त गवाह पी.ड. 1 सुशीला की जिरह को देखा जाए तो गवाह स्पष्ट रूप से शराब की तफ्तीश किए जाने कथन करती है और गाड़ी को जब्त किए जाने और गाड़ी में बैठे व्यक्तियों के बारे में पता किए जाने का कथन करती है और कुल 174 शराब की बोतलें होने का कथन करती है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह जिरह के दौरान इस सुझाव को सही बताती है कि गिरफ्तारी के समय दोनों मुल्जिमान शराब को नहीं बेच रहे थे और यह सही है कि नवरतन, रोहिताश, पुखराज, दीनदयाल और कैलाश पुलिस कर्मचारी हैं और यह कहना गलत है कि जहां नाकाबंदी की हो, वहां बहुत दुकाने हो, बल्कि एक टायर का शोरूम था और आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होने के कारण पूछताछ नहीं

करने का कथन करती है। इस प्रकार उक्त गवाह की जिरह और मुख्य परिक्षण को देखा जाए तो न्यायालय के मत में यह गवाह स्पष्ट रूप से मौके पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही को प्रमाणित करती है और बिल्कुल भी लिखित रिपोर्ट के विपरीत बयान अपने मुख्य परीक्षण और जिरह में नहीं देती है।

– इसी प्रकार प्रकरण में गवाह पी.ड. 6 गोपालराम, पी.ड. 7 पुखराज व पी.ड. 8 नवरत्न एकस्वर में गवाह पी.ड. 1 सुशीला के बयानों की ताईद करते हुए साक्ष्य देते हैं तथा उक्त तीनों गवाह मुख्य परीक्षण में दिनांक 12.08.2015 को थाना गुलाबपुरा में कार्यरत होने और एएसआई सुशीला के साथ 29 मिल चौकी पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू करने का कथन करते हैं और एक कार नंबर आरजे 14 सीक्यू 2355 को रुकवाकर तलाशी लेने का कथन करते हैं और वाहन में बैठे व्यक्तियों का नाम देवेंद्र व प्रशांत होने का कथन करते हैं और वाहन के अंदर अंग्रेजी शराब की कुल 174 बोतलें, जिसमें से 72 रोयल स्टेग की, 90 एरीस्टोक्रेट की और 12 रॉयल चेलेंज की बोतले होने का कथन करते है और उक्त शराब के परिवहन बाबत् लाईसेंस नहीं होने का कथन करते हैं और तीनों क्वालिटी की शराब में से एक–एक बोतल सेंपल निकालने का कथन करते हैं और मुल्जिमान को जरिये फर्द गिरफ्तार किए जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो उक्त गवाहान् भी एकस्वर में सुशीला के समान मुख्य परीक्षण में साक्ष्य देते है और अभियुक्तगण की मौके पर उपस्थिति व संलिप्तता बताते हैं। उक्त गवाहान् पी.ड. 6 गोपालराम, पी.ड. 7 पुखराज व पी.ड. 8 नवरत्न भी अपनी जिरह में अपने मुख्य परीक्षण से विचलित नही हुए हैं और अभियोजन कहानी की पूर्णतः ताईद करते हैं।

– इसी प्रकार गवाह पी.ड. 2 रोहिताश भी अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 12.08.2015 को थाना गुलाबपुरा में कार्यरत होने और मुखबिर सूचना मिलने पर एसआई सुशीला के साथ 29 मील चौकी पर समय 8.00 पीएम पर पहुंचकर नाकाबंदी करने का कथन करता है और नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की कार नंबर आरजे 14 सीक्यू 2355 के अजमेर की तरफ आने पर रुकवाने का कथन करता है और उक्त वाहन में विभिन्न ब्राण्ड की कुल 174 बोतले अंग्रेजी शराब की जब्त करने का कथन करता है और फर्द जब्ती शराब प्रदर्श पी–1 व फर्द जब्ती कार प्रदर्श पी–2 पर हस्ताक्षर होने का कथन करता है और मुल्जिमान देवेंद्र व प्रशांत को जरिये प्रदर्श पी–3 व पी–4 के मौके पर ही गिरफ्तार किए जाने का कथन करता है और जब्तशुदा शराब व सैंपल को सीलचिट किए जाने का कथन

करता है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह पी.ड. 2 रोहिताश मुख्य परीक्षण के दौरान यह भी कथन करता है कि गाड़ी में कौन–कौन थे, उनके नाम उसे याद नहीं है। हालांकि उक्त गवाह पी.ड. 2 रोहिताश पक्षद्रोही घोषित हुआ, लेकिन दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 का ए से बी व सी से डी भाग, जो कि अभियोजन कहानी की ताईद में है, सही होने का कथन करता है। उक्त गवाह पी.ड. 2 रोहिताश दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त यह कथन करता है कि यह सही है कि वह एसआई सुशीला के अधिनस्त कर्मचारी था और यह यही है कि रोड़ पर वाहनों का आवागमन रहता है और यह भी सही है कि मौके पर स्वतंत्र गवाहान् नहीं होने के कारण ही जाब्ते में से मौतबिर गवाहान् बनाए गए और यह कहना गलत है कि कार्यवाही चौकी पर की हो, बल्कि मौके पर ही की गई थी और नमूना सील पीतल की ब्रॉज सील थी। इस प्रकार देखा जाए तो प्रकरण मे उक्त गवाह पी.ड. 02 रोहिताश यद्यपि पक्षद्रोही घोषित हुआ है लेकिन उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 07 की अभियोजन अधिकारी द्वारा की जिरह में पूर्णतः ताईद की है तथा घटना दिनांक 1208.2015 की ही होना बताया है और अवैध शराब बरामद होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में गवाह पी.ड. 02 रोहिताश के पुलिस बयान प्रदर्श पी 07 पूर्णतया स्थापित हो जाते हैं व अन्य साक्षियों की एकरूपता में है।

– इस प्रकार हस्तगत प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान् पी.ड. 1 सुशीला, पी.ड. 2 रोहिताश, पी.ड. 6 गोपालराम, पी.ड. 7 पुखराज व पी.ड. 8 नवरत्न अपने बयानों में स्पष्ट रूप से एकरूप तरीके से साक्ष्य देते हैं और जिरह के दौरान भी स्पष्ट रूप से अपने सामने सैम्पल निकालने का और शराब की कुल 174 बोतलें होने का और स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने के कारण पुलिस कर्मचारियों को गवाह बनाने का और मौके पर ही कार्यवाही किए जाने का कथन करते हैं। उक्त गवाहान् के मुख्य परीक्षण व जिरह में आपस में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाहान् पी.ड. 1 सुशीला, पी.ड. 2 रोहिताश, पी.ड. 6 गोपालराम, पी.ड. 7 पुखराज व पी.ड. 8 नवरत्न के बयानो से जप्ती का तथ्य, अभियुक्त की पहचान तथा अनुज्ञप्ति ना होने का तथ्य प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त गवाहान् जिरह के दौरान भी अपने द्वारा किये गये मुख्य परीक्षण के कथनों से बिलकुल भी विचलित नहीं हुए है तथा ऐसा कोई कथन जिरह के दौरान नहीं किया है, जिससे कि यह संदेहास्पद होता हो कि मौके से

जप्ती नहीं हुई हो। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाहों से इस प्रकार की कोई जिरह नहीं की है, जिससे शराब होने का तथ्य खण्डित होता हो। इसके अतिरिक्त ऐसी भी जिरह नहीं की है कि पहचान अभियुक्तगण की नासाबित होती हो।

– यहां प्रकरण में गवाह पी.ड. 5 मामराज सैम्पल ले जाने बाबत् गवाह है तथा इस हद तक गवाही देता है और उसकी जिरह में स्पष्ट रूप से यह आया है कि उसके पास सैम्पल सिलचिट अवस्था में थे, जो कि सैम्पल से किसी भी प्रकार की टैम्परिंग होने के तथ्य को खण्डित कर देता है। इसी प्रकार प्रकरण में गवाह पी.ड. 04 दीनदयाल नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्शपी.9 उसके सामने मौके पर बनाए जाने का कथन करता है और अपने हस्ताक्षर होने की बात करता है और यहां उल्लेखनीय है कि गवाह पी.ड. 4 दीनदयाल प्रदर्श पी–9 के सामने टायर का शोरूम होने का कथन करता है, जिसकी पुष्टि गवाह पी.ड. 1 सुशीला के बयानों से भी होती है। प्रकरण में गवाह पी.ड. 3 रघुनाथ लाल अनुसंधान अधिकारी है, जिसके द्वारा दौराने अनुसंधान अनुसंधान प्रक्रिया बाबत साक्ष्य दी है तथा उक्त गवाह पी.ड. 3 रघुनाथलाल जिरह में यह कथन करता है कि जहां गाड़ी जब्त की गई थी, वहां गाड़ियां चलती रहती हैं अैर यह सही है कि प्रदर्श पी–9 के मौतबिर दोनों पुलिस कर्मचारी है और जिरह में इस तथ्य को भी कहता है कि पेट्रोल पंप या चाय की होटल वाले कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुए थे, जो कि अन्य गवाहान् की साक्ष्य की ताईद में है। इस प्रकार उक्त गवाह पी.ड. 3 रघुनाथलाल के बयान भी अभियोजन कहानी की ताईद में ही है।

– इस प्रकार समस्त गवाहो को देखा जाए तो समस्त गवाहों के बयानो से अभियुक्तगण के सचेतन कब्जे से जप्ती होना प्रमाणित होता है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अधिवक्ता अभियुक्तगण का जिरह में मुख्य जोर इस बात पर रहा कि प्रकरण में स्वतंत्र गवाह नही है और समस्त गवाह पुलिसकर्मी है, अतः उनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के मत में अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क चलने योग्य नहीं है, क्योंकि मात्र पुलिसकर्मी गवाह होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पुलिसकमिर्यों की अभियुक्तगण से कोई रंजिश हो तथा न ही ऐसा कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी उक्त तथ्य के समर्थन में है।

– इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्तगण का एक तर्क यह रहा

कि एफएसएल के लिए सम्पूर्ण सैम्पल नही लिए गए, लेकिन उक्त तर्क चलने योग्य नही है क्योंकि यह स्थापित सिद्धान्त है कि जप्ती की मात्रा अधिक हो तो रेण्डम पद्धति से सैम्पल लिया जाना सम्पूर्ण जप्ती कार्यवाही को दुषित नही करता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के गवाहान् द्वारा हर क्वालिटी की शराब से सैंपल लेने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य साबित करने का भार अभियुक्तगण पर था कि अभियुक्तगण द्वारा बेचान हेतु परिवहन जब्तशुदा शराब का न किया जा रहा हो, जो कि उनके द्वारा साबित नहीं किया गया है। अतः इस प्रकार देखा जाए तो प्रकरण में जप्ती साबित है तथा अभ्यारोपित आरोप के सम्पूर्ण घटक सन्देह से परे साबित है। मौका कार्यवाही और शिकायतकर्ता के गवाह अभियोजन कहानी की संगतता में बयान देते है तथा अनुसंधान अधिकारी ने भी अनुसंधान प्रकिया की पूर्णतः ताईद की है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त समस्त विवेचनानुसार अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 14–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

–:: आदेश ::–

10. अतः परिणामस्वरूप अभियुक्तगण **01. देवेंद्र सिंह** पुत्र तेज सिंह सिसोदिया, उम्र 38 वर्ष, निवासी दवाना जाबद, थाना सलुम्बर, जिला सलुम्बर, राज. **02. प्रशांत शर्मा** पुत्र मिठालाल शर्मा, उम्र 47 वर्ष, निवासी 64 चिंतामणी, रावजी का घाटा, थाना घण्टाघर, जिला उदयपुर, राज. को आरोपित अपराध अन्तर्गत **धारा 14/54, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** में दोषसिद्ध घोषित किया जाता हैं।

(पुलकित शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सजा के प्रश्न पर :–

– सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया कि अभियुक्तगण लम्बे समय से अन्विक्षा भुगत रहे हैं तथा अभियुक्तगण अपने परिवार के कर्ता हैं। अतः अभियुक्तगण की आयु एवं अन्वीक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अपराध के लिए तुरन्त कारावास से दण्डित नहीं किया जाकर परीविक्षा पर छोडे जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी द्वारा जब्ती की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का विरोध किया।

– सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण को धारा 14–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया गया है। प्रकरण में शराब जप्ती मात्रा अधिक है तथा शराब अवैध परिवहन का आरोप है, जिससे कि राजस्व हानि भी हुई है तथा आर्थिक नुकसान भी सरकार को कारित हुआ है। दण्ड दिए जाने से निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधों में समाज में सही सन्देश जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नही होता है।

–:: दण्डादेश ::–

11. अतः अभियुक्तगण **01. देवेंद्र सिंह** पुत्र तेज सिंह सिसोदिया, उम्र 38 वर्ष, निवासी दवाना जाबद, थाना सलुम्बर, जिला सलुम्बर, राज. **02. प्रशांत शर्मा** पुत्र मिठालाल शर्मा, उम्र 47 वर्ष, निवासी 64 चिंतामणी, रावजी का घाटा, थाना घण्टाघ ार, जिला उदयपुर, राज. को अपराध अंतर्गत **धारा 14/54, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम** के तहत दोषसिद्ध किया जाकर जाकर निम्न प्रकार से दंडित किया जाता है–

धारा	कारावास	जुर्माना	अदम अदायगी जुर्माना
14/54 राज. आबकारी अधि.	06 माह साधारण कारावास	20,000/– रूपये	पंद्रह दिवस साधारण कारावास
19/54 राज. आबकारी अधि.	06 माह साधारण कारावास	20,000/– रूपये	पंद्रह दिवस साधारण कारावास

प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में व्यतीत पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि मूल सजा में से मुजरा की जावे। उक्त दोनों सजाएं साथ–साथ चलेंगी। उक्त अनुसार सजा वारण्ट मुर्तिब हो। प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा धारा 437ए सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत बंध पत्र आज दिनांक से अपील अवधि तक प्रभावी रहेगे। अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है। **प्रकरण में अभियुक्त जहांगीर के विरुद्ध धारा 299 सीआरपीसी के तहत अनुसंधान/चालान पेन्डिंग रखा गया है। अतः पत्रावली पर लाल स्याही से नोट लगाया जाए कि पत्रावली का कोई भाग जाया ना किया जाए।** संबंधित थानाधिकारी समय–समय पर अभियुक्त **जहांगीर** के संदर्भ में स्थाई गिरफ्तारी

वारण्ट की प्रगति रिपोर्ट पेश करे। निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पुलकित शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा

12. निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(पुलकित शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा